न्यायलय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बइजलास हीरालाल मीना, आर.ए.एस., उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

ग वाद संख्या 211/2017

:— 1. मैसर्स अरविन्द कन्स्ट्रेक्शन कम्पनी प्रा.लि., न्यू देहली जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता प्रोजेक्ट मैनेजर विपिन चौपड़ा पुत्र श्री के. पी.चौपड़ा, जाति खत्री, कार्यालय पता कंक्रीट स्लीपर फैक्ट्री, मारवाड़ छापरी, तहसील मेड़ता जिला नागौर, रजिस्टर्ड कार्यालय, एल–43, कनाट सर्कस, न्यू देहली।

बनाम

दीगण :—

1. तहसीलदार, मेड़ता
2. पटवारी हल्का छापरी खुर्द

दावा घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक —18.09.17

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी ने दावा घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती के वाद पेश कर निवदेन किया है मौजा छापरी कलां की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 392/590 रकबा 0.54 हैक्टेयर, 391 रकबा 1.58 हैक्टेयर, 392 रकबा 1.08 हैक्टेयर कुल रकबा 3.20 हैक्टेयर की जमीन वादी कम्पनी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद आई हुई है। उक्त भूमि में से खसरा नं. 392/590 रकबा 0.54 हैक्टेयर औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित हो रखी है। खतौनी नकलें संवत 2072 से 2075 साथ में पेश है। मैसर्स अरविन्द कन्स्ट्रेक्शन कम्पनी प्रा.लि.न्यू देहली कम्पनी अधिनियम के तहत एक रजिस्टर्ड कम्पनी है। जिसमें एक कार्यकारिणी का बोर्ड बना हुआ है और बोर्ड की समय – समय पर नियमित बैठक होती है और कम्पनी के रूल्स एण्ड रेग्यूलेशन के अनुसार बोर्ड के सदस्य कार्य करते है और उसी बोर्ड के द्वारा नियुक्त बी.पी. जैन वादी कम्पनी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर थे और उनके नाम से ही उपरोक्त भूमि की खातेदारी जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि की खातेदारी वादी कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बी. पी. जैन के नाम से दर्ज चली आ रही है। मैनेजिंग डायरेक्टर वी.पी. जैन का देहांत दिनांक 22.04.2013 हो चुका है। जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति पेश है। बोर्ड ने दिनांक 08.05.2017 की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया कि बी.पी. जैन की मृत्यु के बाद कम्पनी की उक्त भूमि की खातेदारी में पूर्व डायरेक्टर बी.पी. जैन का नाम हटाकर डायरेक्टर अशोक जैन का नाम दर्ज करवाया जावें, इसके लिए बोर्ड की बैठक दिनांक 08.05.2017 में मुझ वादी प्रोजेक्ट मैनेजर विपिन चौपड़ा को उक्त कम्पनी के सम्बध में समस्त कार्य करने व वाद करने व अपने हस्ताक्षर करने, शपथ पत्र देने तथा हर प्रकार के कार्य करने हेतु प्रस्ताव पारित कर अधिकृत किया। उसी हैसियत से विपिन चौपड़ा वादी कम्पनी की ओर से यह वाद पेश कर रहा है। वादग्रस्त खसरान की खातेदारी में पूर्व डायरेक्टर बी.पी. जैन का नाम कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर दर्ज है, जबकि बी.पी.जैन की मृत्यु

री

Scanned by CamScanner

22.04.2013 को हो गई। जिससे बी.पी. जैन अब उक्त वादी कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं रहे। ऐसी स्थिति में खातेदारी में बी.पी.जैन का नाम हटाया जाकर वादी कम्पनी के डायरेक्टर के रूप में अशोक जैन का नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड में शुद्धि किया जाना न्यायोचित है। जिसके लिए वादी कम्पनी ने प्रतिवादीगण के समक्ष आवेदन पेश कर राजस्व रेकर्ड में बी.पी. जैन की मृत्यु हो जाने के कारण उसके स्थान पर डायरेक्टर के रूप में अशोक जैन का नाम दर्ज करने का निवेदन किया। मगर प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड में बी.पी. जैन का नाम हटाकर वादी अशोक जैन के नाम दर्ज नहीं किया तथा वादी को सक्षम न्यायालय में वाद पेश कर शुद्धि कराने का कहा । जिससे यह वाद माननीय न्यायालय हाजा में पेश किया। प्रस्ताव दिनांक 08.05.2017 के अनुसार वादी श्री अशोक जैन वादी कम्पनी का डायरेक्टर है और पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर बी.पी.जैन का निधन हो गया है। ऐसी स्थिति में मौजा छापरीकलां की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 392/590 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नं. 391 रकबा 1.58 हैक्टेयर , खसरा नं. 392 रकबा 1.08 हैक्टेयर कुल रकबा 3.20 हैक्टेयर की खातेदारी मैसर्स अरविन्द कन्स्ट्रेक्शन कम्पनी प्रा. लि., न्यू देहली जरिये डायरेक्टर अशोक जैन के नाम घोषित की जाकर बी.पी. जैन का नाम हटाया जावें। जिससे यह घोषणा का वाद पेश है। प्रमुख शासन सचिव के द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 09.06.2009 के अनुसार कम्पनी या संस्था के नाम के साथ जरिये निदेशक, जरिये मैनजर आदि प्रकार के शब्दों का उपयोग करने से मना किया गया है। तथा यह आदेश जारी किया गया है कि यदि किसी कम्पनी या संस्था के नाम से साथ जरिये निदेशक या जरिये मैनजर आदि प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है तो उन अवांछित प्रविष्ठियों को राजस्व अधिकारी द्वारा शुद्ध कर हटाया जावें जिसके परिपक्ष में विकल्प के रूप में वादी यह घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है कि मौजा छापरीकलां की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 392/590 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नं. 391 रकबा 1.58 हैक्टेयर , खसरा नं. 392 रकबा 1.08 हैक्टेयर कुल रकबा 3.20 हैक्टेयर की खातेदारी मैसर्स अरविन्द कन्स्ट्रेक्शन कम्पनी प्रा. लि., न्यू देहली की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है प्रतिवादी द्वारा कम्पनी के मैनजिंग डायरेक्टर का देहांत होने पर वादी कम्पनी ने श्री अशोक जैन डायरेक्टर के नाम खातेदारी दर्ज करने हेतु प्रतिवादीगण को निवदेन करने पर इन्कार करने से दावा न्यायालय हाजा पेश करना पड़ा अतः अर्जीदावा पैरा संख्या 10 के अनुसार डिक्री फरमाई जावे।

वादी ने अपने पक्ष समर्थन में ग्राम छापरी कला के जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 खाता संख्या 215,खसरा नं. 392/590 खाता संख्या 17 खसरा नं. 391 , 392, कम्पनी का पत्र एसीसीपीएल/सीएसपी/एमसीपीई /2017–18/01 दिनांक 23.05.2017 जो कि पटवारी छापरी को संबोधित है मृत्यु प्रमाण पत्र बी.पी.जैन , कम्पनी मिटींग दिनांक 08.05.2017, कम्पनी एवं डायरक्टेर की सूची, प्रमुख शासन सचीव का परिपत्र दिनांक 09.06.2009 आदि की प्रतियां पेश की।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को सम्मन तामिल के आवाज लगान के बावजूद भी अनुपस्थित रहने से दिनांक 19.07.2017 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान वकील वादी की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह था कि चूंकि मैनेजिंग डायरेक्टर वी.पी. जैन का देहांत दिनांक 22.04.2013 हो

Scanned by CamScanner

चुका है। जिससे कम्पनी द्वारा नवनियुक्त डायरेक्टर अशोक जैन का नाम जमाबन्दी में दर्ज करने का निवदेन किया इस सम्बन्ध राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 09.06.2009 का हवाला दिया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र में लिखा है कि जमाबन्दी में की जाने वाली प्रविष्ठियों में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 114 , 121 तथा राजस्थान भू राजस्व भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 163 से 169 में व्यापक प्रावधान है जिसके के अनुसार अभिवृति सहधारक , सहभागिदार , कब्जाधारी तथा बंधकदारों तथा उसमें काश्तकार के अतिरित अन्य प्रकार से भूमि धारण करने के हिते यदि कोई हो का ही उल्लेख किया जाना चाहिए। लेकिन प्राय यह देखने में आया है कि यदि अभिवृति धारक यदि कोई कम्पनी या संस्था है तो कम्पनी या संस्था के नाम साथ साथ जरिये निदेश जरिये मैनेजर आदि प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो भू अभिलेख नियमों का उल्लघंन है इस प्रकार की त्रुटिपुर्ण प्रविष्ठियों से भविष्य में रेकार्ड संदारण में कठिनाई उत्पन्न होती है तथा भविष्य में जमाबन्दी के कॉलम संख्या 6 में प्रविष्ठी नियमानुसार की जावें। तथा किसी प्रकार की अंवाछित प्रविष्ठियां नहीं की जावें। उपरोक्त विवेचन के आधार निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

आदेश

मौजा छापरी कलां की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 392/590 रकबा 0.54 हैक्टेयर, 391 रकबा 1.58 हैक्टेयर, 392 रकबा 1.08 हैक्टेयर कुल रकबा 3.20 हैक्टेयर की खातेदारी मैसर्स अरविन्द कन्स्ट्रेक्शन कम्पनी प्रा.लि. न्यू देहली जरिये डायक्टेर वी.पी. जैन के स्थान पर मौजा छापरी कलां की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 392/590 रकबा 0.54 हैक्टेयर, 391 रकबा 1.58 हैक्टेयर, 392 रकबा 1.08 हैक्टेयर कुल रकबा 3.20 हैक्टेयर की खातेदारी मैसर्स अरविन्द कन्स्ट्रेक्शन कम्पनी प्रा.लि.न्यू देहली के नाम घोषित की जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो।

तहसीलदार मेड़ता यदि किसी न्यायलय का स्थगन आदेश नहीं हो अथवा अन्यथा कोई आदेश नहीं हो तो राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमलदरामद करे । पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हीरालाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner